GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

समस्त,
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
प्राचार्य डी.आई.इ.टी.
हरियाणा, राज्य |

यादी क्रमांक 1/2-2017 ACD (I)
दिनांक : 07.11.2017

विषय: स्थाई संसाधन समूह (PRG) की सदस्यता हेतु शिक्षकों द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)

उपरोक्त सन्दर्भ में आप सभी को ज्ञात है कि विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, द्वारा नई योजनाओं को लागू करने, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन व भिन्न-भिन्न नवाचारों से कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु समय-समय पर सेमीनार, प्रशिक्षण व कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाता है | इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षकों का चयन अधिकतर विभाग में कार्यरत शिक्षकों में से न करके बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है | यदि कभी विभाग में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बुलाया भी जाता है तो उनका पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं हो पाता जिसके परिणाम स्वरुप प्रशिक्षणों का स्तर अधिक अच्छा नहीं हो पाता | विभाग से बाहर के प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को इस कार्य हेतु संलग्न करने से भी कुछ समस्याएं होती हैं जो निम्न हैं :-

१. विभाग से बाहर का कोई भी संसाधन व्यक्ति विभाग की कार्यप्रणाली व सीमाओं से अनभिज्ञ होने के कारण प्रशिक्षार्थियों द्वारा उठाये गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत करने में सक्षम नहीं होते |
२. बार-बार बाहरी व्यक्तियों को संसाधन व्यक्ति के तौर पर बुलाने से विभाग पर वित्तीय बोझ बढ़ता है |
३. यदि विभाग यह कार्य करने का अवसर अपने शिक्षकों को ही प्रदान करे तो धीरे-धीरे उनका क्षमता संवर्धन तो होगा ही इसके अतिरिक्त शिक्षकों का अपने विभाग के कार्यों के प्रति विश्वास और भी सुदृढ़ होगा |

उपर्युक्त के मद्देनज़र विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इस कार्य हेतु इच्छुक शिक्षकों का एक स्थाई संसाधन समूह (Permanent Resource Group- "PRG") गठित किया जाए व उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हुए सभी क्रियाकलापों, शिक्षा क्षेत्र को शासित व संचालित करने वाले सभी नियम-कानूनों, नीतियों व योजनाओं, शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करके उन्हें इस प्रकार तैयार किया जाए कि वो आवश्यकतानुसार विभाग के भावी कार्यक्रमों में बतौर संसाधन व्यक्ति अपना योगदान देने में सक्षम हों | इस हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि जो शिक्षक स्वयं में निम्न गुण पाते हैं वो PRG के सदस्य बनने के लिए अपने नाम उचित माध्यम से अग्रेषित करें |

१. आवेदक को, हिंदी व अंग्रेजी में सम्प्रेषण हेतु, स्वयं पर विश्वास हो |
२. आवेदक को प्रशिक्षण हेतु अपने आवास अथवा कार्य स्थल से अस्थाई तौर पर कुछ दिनों के लिए दूर जाने/रहने में कोई आपत्ति/समस्या न हो |
३. आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो |
४. आवेदक को बड़े जन समूह के समक्ष मंच संचालन व भाषण का अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव हो |
५. आवेदक को जानकारियों को सन्दर्भ अनुसार रोचक तरीकें से प्रस्तुत करने का अनुभव हो |
६. आवेदक समाज, शिक्षा व राष्ट्र के विकास हेतु सकारात्मक सोच रखता हो |
७. आवेदक नवाचारी, जुझारू व कर्मठ हो |

उपर्युक्त योग्यताओं के आधार पर चयनित प्रार्थियों को बतौर संसाधन व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू करने से पूर्व उन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | इस प्रकार प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति केवल उसी समय विभाग को अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेंगे जब विभाग द्वारा उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा अन्याथा वो सभी अपने अपने मूल कार्यस्थल पर ही कार्य करते रहेंगे |

आवेदक हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में JBT, C&V, TGT, PGT (including PGTs Deputed against the post of Assistant Professor in DIETs), Sr. Lect. DIET, Program Officer (at Hd Office) अथवा APC के पदों में से ही किसी पद पर कार्यरत होना आवश्यक है | इस हेतु आवेदक 'इच्छा की अभिव्यक्ति' (EOI) सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रेषित करेंगे जिसकी एक अग्रिम प्रति academicposthry@gmail.com पर भी भेजना सुनिश्चित करेंगे |

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
विद्यालय शिक्षा विभाग , हरियाणा
पंचकुला

क्रमांक: -सम- दिनाँक: 07.11.2017

उपर्युक्त की एक-एक प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

१. वरिष्ठ सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा सरकार
१. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
२. निजी सहायक, निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा

-Sd-
सहायक निदेशक (अकादमिक प्रकोष्ठ)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
विद्यालय शिक्षा विभाग , हरियाणा
पंचकुला

स्थाई संसाधन समूह सदस्यता हेतु आवेदन प्रपत्र

१.	आवेदक का नाम (Emp ID)	
२.	पदभार , कार्यस्थल	
३.	खंड, जिला	
४.	शैक्षणिक योग्यताएं	
५.	मोबाइल नंबर व ईमेल	
६.	संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य अनुभव	
७.	आप PRG के सदस्य क्यूँ बनना चाहते हैं? (१०० शब्दों में साफ़-साफ़ लिखें)	

दिनांक: __________

स्थान: __________

आवेदक के हस्ताक्षर